



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 432 राँची, गुरुवार,

10 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-115/2016-6925 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध नगर परिषद् क्षेत्र में एल0ई0डी0 लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता, नगर परिषद् क्षेत्र में डस्टबीन की आपूर्ति में अनियमितता, सोनपुरवा बस स्टैंड, गढ़वा के जिर्णोद्धार कार्य में अनियमितता, विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमिततायें तथा राजकोष को वित्तीय क्षति पहुँचाने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती दास के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती दास को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव

बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती दास द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANJANA DAS 20060400034	श्रीमती अंजना दास, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
